Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन नं0–0522-2308502
Email : lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-78 /2019–20 दिनाँक 09 अप्रैल, 2019

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय जनपद स्तर से एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से उनके निजी बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों का मानदेय शासनादेश संख्या–264/79–6–2012 दिनाँक 13 अप्रैल, 2012 एवं पत्र संख्याः सी–3502/79–6–2015 दिनाँक 06 जुलाई, 2015 के क्रम में विद्यालय स्तर पर एम0डी0एम0 संचालन हेतु संचालित खाते के माध्यम से प्रत्येक माह की दस तारीख को एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से रसोइयों के व्यक्तिगत खातों में अन्तरित किये जाने के निर्देश निर्गत हैं।

उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर रसोइया संघों द्वारा विभिन्न मांग पत्रों के माध्यम से शासन एवं प्राधिकरण स्तर पर यह माँग की जाती रही है कि योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों को मानदेय का भुगतान जनपद स्तर से सीधे उनके बैंक खाते में प्रेषित किया जाए।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 02.04.2019 के क्रम में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय जनपद स्तर से सीधे उनके निजी बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही जनपद स्तर से समयान्तर्गत सुनिश्चित की जानी हैः–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक माह में कार्यरत रसोइयों की विद्यालयवार सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, कार्यरत रसोइयों का नाम, रसोइयों के खाते से सम्बन्धित बैंक का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, खाता संख्या तथा स्थानान्तरित की जाने वाली मानदेय की धनराशि अंकित कर सॉफ्ट कॉपी एवं हार्डकॉपी प्रमाणित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विकासखण्डों से प्राप्त रसोइयों की सूची प्रमाणित करते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा को प्रस्तुत की जाएगी।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा द्वारा ई–कुबेर के माध्यम से रसोइयों के खाते में धनराशि नियमानुसार प्रेषित कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

4. बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत ई–कुबेर के माध्यम से कोषागार द्वारा जनपद स्तर से रसोइयों का मानदेय उनके व्यक्तिगत खाते में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक स्थानान्तरित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त व्यवस्था का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुमताज़ अहमद)
वित्त नियंत्रक/
प्रभारी निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः / C-78 /2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशातगंज, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।
10. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, लखनऊ।
11. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
12. नियोजन अनुभाग–4/वित्त (ई–11)/बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

(मुमताज़ अहमद)
वित्त नियंत्रक/
प्रभारी निदेशक